न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

निगरानी सं० 01/2016

1. लक्ष्मी देवी उम्र 60 वर्ष पत्नि स्क मूलचन्द
2. राजेद्र पुत्र स्व0 मूलचन्द
3. नवल पुत्र स्क मूलचन्द
4. रोहिताश पुत्र स्क मूलचन्द
5. मुकेश पुत्र स्क मूलचन्द

   समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम नांगल राजावतान जिला दौसा

5. शकुन्तला पुत्री मूलचन्द पत्नि मोहनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील व जिला दौसा

... . निगरानीकारान

बनाम

1. नानगराम मीना पुत्र श्री मन्नाराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत नांगल राजावतान जरिए सचिव ग्राम पंचायत नांगल राजावतान पंचायत समिति लवाण जिला दौसा
3. सरपंच ग्राम पंचायत नांगल राजावतान पंचायत समिति लवाण जिला दौसा

...गैर निरानीकारान

निगरानी अन्तर्गत राजस्थान पंचायत अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायतनांगल राजावतान संकल्प संख्या 7/2004 दिनांक 5–7–04 एवं संकल्प के तहत जारी किया गया पट्टा के तहत 59 मिसल संख्या 12 दिनांक 5–7–04

उपस्थितः 1. श्री अशोक बटवाल, अधिवक्ता निगरानीकारान
2. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 की ओर से

निर्णय दिनांक 30.10.2025

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत राजस्थान पंचायत अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, नांगल राजावतान द्वारा अप्रार्थी सं0 एक के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 5.7.2004 से असंतुष्ट होकर निगरानीकार ने यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नांगल राजावतान से मूल पट्टा पत्रावली मंगवाई गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस की सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकारान ने बहस में दलील दी कि अप्रार्थीगण गैर निगरानीकार द्वारा फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके कथित पट्टा सं0 59 दिनांक 5.7.2004 जारी किया गया है जिसकी प्रार्थी [illegible] में कोई जानकारी नहीं हो सकी। वैसे भी फर्जकारी कर प्राप्त किये गये [illegible] के विरूद्ध निगरानी व अपील करने की कोई मियाद निर्धारित नहीं है। [illegible] की जानकारी दिनांक 14.1.2016 को हुई जिस पर प्रार्थी [illegible] नकल का प्रार्थना [illegible] किया गया जिस पर उक्त पट्टे की नकल प्राप्त होने पर ज[illegible]कारी से अंदर मियाद [illegible] पेश की जा रही है। अतः निगरानी पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुए अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने दफा 5 के प्रा0पत्र पर दलील

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:05 IST
Reason: SelfAttested

दी कि निगरानीकारान को ग्राम पंचायत नांगल राजावतान से जारी प्रश्नगत पट्टे की जानकारी शुरू से ही रही है। निगरानीकार ने यह निगरानी 12 वर्ष से भी अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। निगरानी विलंब से पेश किये जाने का कोई उचित व ठोस कारण नहीं दिया गया है। अतः निगरानी मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभय पक्ष की मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गई। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल निगरानी बहस अधिवक्तागण सुनी गई।

5. अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि निगरानीकार/ अपीलाट के पिता मूलचन्द पुत्र जमनालाल जाति बैरवा निवासी नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के स्वामित्व व कब्जे की आबादी आराजी खसरा नम्बर 725 रकबा 0.34 है0 सिवायचक में से खसरा नम्बर 725 क्षेत्रफल 0.19 है0 भूमि ग्राम नांगल राजावतान में स्टेट हाईवे 11 ए पर स्थित है। जिसका उपयोग उपभोग बहैसियत वारिस निगरानीकार अपीलांट करते चले आ रहे है। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान पंचायत समिति हाल लवाण एवं पूर्व पंचायत समिति दौसा के तत्कालीन सरपंच श्रीमति सोनी देवी एवं सचिव द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने विशेष चहेते व्यक्ति गैर निगरानीकार संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से भूमि आबादी में 2004 में परिवर्तित ना होने के बावजूद भी उक्त पट्टा संख्या 59 कतई गलत रूप से जारी कर दिया। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान का संकल्प संख्या 7 दिनांक 5–7–2004 व पट्टा संख्या 59 विधि प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत एवं पंचायत राज अधिनियम के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा जिस स्थल का पट्टा जारी किया गया था उस समय आबादी भूमि में ही नही था। उक्त स्थल तत्समय आराजी खसरा नम्बर 725 रकबा 0.34 है0 725/02 रकबा 0.19 है0 सिवायचक बारानी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की भूमि में था तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। निगरानीकारगण/अपीलांट्स उक्त भूमि पर 50 वर्षो से काबिज चले आ रहे,है। उक्त भूमि पर निगरानीकारगण/अपीलांट्स व उसके पिता स्व० मूलचन्द अपने कच्चे घर एवं बाडा तथा बाबा रामदेव धर्मस्थल चबूतरा आदि बना रखा है तथा अपने परिवार सहित काबिज चले आ रहे है। तहसीलदार द्वारा कई बार धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस भी जारी किये थे जिस पर निगरानीकारगण के पिता स्व० मूलचन्द द्वारा प्रतिवर्ष पेनल्टी जमा करवाते चले आ रहे थे तथा मौके पर निगरानीकारगण अपने परिवार सहित उक्त स्थल पर निवासी कर रहे है फिर भी ग्राम पंचायत नांगल राजावतान के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के द्वारा आबादी भूमि नही होते हुए भी गैर निगरानीकार संख्या 1 को विधिविरूद्व रूप से पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। राजस्थान राज पंचायत अधिनियम 140 के अनुसार आबादी का व्यापक अर्थ दे रखा हैं कि किसी भी पंचायत सर्किल के बसे हुए क्षेत्रो के भीतर पडने वाली ऐसी नजूल भूमि अभिप्रेत है [illegible] किसी आदेश के द्वारा या अधीन किसी पंचायत में निहित हो या निहित की [illegible] नि राज्य सरकार किसी आदेश के अनुरूप या अधीन भूमि ग्राम [illegible] सन 2004 में उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी में दर्ज [illegible] स्थान सरकार की सिवायचक भूमि थी फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त पट्टा जारी किया है जो प्रारम्भिक स्टेज पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय दौसा के पत्र क्रमांक न.प.वि/09/1576 दिनांक 2–9–09 व श्रीमान तहसीलदार साहब

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

दौसा के आदेश क्रमांक भू.अ./7322 दिनांक 14–10–2010 के आदेशानुसार उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 725 रकबा 0.34 है0 सिवायचक में से 0.19 है0 भूमि गैर मुमकिन आबादी में दर्ज करने हेतु प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में नामान्तरण संख्या 470 दिनांक 1–12–2010 को तस्दीक किया गया है। तथा भूमि आबादी में दर्ज की गई है तथा आबादी भूमि के नवीन खसरा नम्बर 725/2 रकबा 0.19 है0 दर्ज किया गया है। अवलोकनार्थ नामान्तरण संख्या 470 की प्रति संलग्न निगरानी पेश है। ऐसी स्थिति मे आबादी दर्ज होने से पूर्व जारी किया गया पट्टा स्वतः ही निरस्तनीय है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया बनी हुई हैं किन्तु ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विधिक रूप से नही की गई है जिसके कारण पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान में गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा पट्टा लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके साथ कोई नक्शा पेश नही किया गया था और ना ही नक्शे की फीस जमा कराई थी। जबकि नियम 145 के अनुसार नक्शा तैयार करने के लिए फीस जमा कराने का प्रावधान है। तथा स्थल निरीक्षण व्ययो पेटे शुल्क जमा कराने का प्रावधान है किन्तु शुल्क जमा कराये बिना गैर निगरानीकार रेस्पो० संख्या 1 द्वारा ना तो नक्शा ही प्रस्तुत किया ना ही फीस जमा कराई ऐसी स्थिति में पट्टा निरस्तनीय है। नियम 146 के अनुसार तीन वार्ड पंचायत समिति के द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता हैं तथा 15 दिन के भीतर भीतर स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। तथा आवेदित पट्टे की वांछनीयता के संबंध में पंचायत को अपनी राय देना आवश्यक होता है, किन्तु ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा नियमो के विपरीत जाकर बिना स्थल निरीक्षण करवाये पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रारूप 22 के तहत आपत्ति नोटिस जारी किया जाना आवश्यक होता है तथा प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित किये जाते है। किन्तु ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा बिना आपत्ति नोटिस जारी किये गैर निगरानीकार सख्या को पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा कोई स्वतंत्र गवाहो के बयान लिये बिना ही तथा बिना किसी सूचना के यह जानते हुए कि उक्त स्थल आबादी भूमि में नही है, तथा जिस जगह का पट्टा जारी किया जा रहा है उस पर पट्टा चाहने वाले आवेदक का कोई कब्जा नही है तथा बिना किसी कब्जे के निगरानीकार को नाजायज परेशान करने की गरज से तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ने गैरनिगरानीकार संख्या 1 से मिलकर षडयंत्र रचकर पट्टा संख्या 59 जारी किया है जो निरस्तनीय है। गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टे में नियम 157 ख का उल्लेख कर रखा है, जबकि नियम 157 ख के अनुसार यह नियम है कि 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु जो व्यक्ति पट्टा जारी करवाना चाहता हो या जिनका वर्ष 2003 तक जुग्गी झोपडी/कच्चे घर के निर्माण के तोर पर आबादी भूमि पर कब्जा हैं तो विनियमितिकरण के हकदार होगें। उक्त स्थल पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का कोई कब्जा भूमि पर नही था तथा न ही कोई कच्चे घर आदि बने हुए थे बल्कि 50 वर्ष से अधिक समय से निगरानीकारगण व पिता स्व० मूलचन्द के कच्चे घर बने हुए है तथा निगरानीकारगण अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमो के विपरीत जाकर पट्टा जारी किया है जो निरस्तनीय है। नियम 167 (2) के अनुसार स्पष्ट प्रावधान है कि विक्रय विलेख (पट्टा) पर सरपंच एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जावेगें। किन्तु गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टे मे केवल मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर है। सचिव के कोई हस्ताक्षर नही है । तथा सरपंच के हस्ताक्षर भी संदेहास्पद है जिससे स्पष्ट जाहिर है कि ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा जारी पट्टा गलत है संदेहास्पद है जो निरस्तनीय है। यहां यह भी उल्लेखित विशेष कथन किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

रहा है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 जो कि ग्राम नांगल राजावतान का रहने वाला भी नही है जो कि ग्राम खेडाबागपुरा तहसील नांगल राजावतान का रहने वाला है तथा उक्त गैर निगरानीकार संख्या 1 खेडा बागपुरा के निवासी को एक ही रसीद संख्या शुल्क पर तीन पट्टे पट्टा संख्या 62 व पट्टा संख्या 62ए तथा पट्टा संख्या 59 दिनांक 5–7–04 एक ही तारीख को जारी किया जाना भी स्पष्ट रूप से मिलीभगत कूटरचित षडयंत्र फर्जी होने का व सांठगांठ का स्पष्ट प्रमाण है इसलिए भी उक्त पट्टा संख्या 59 निरस्तनीय है। निगरानीकारगण के स्वामित्व कब्जे के उक्त वर्णित पट्टा संख्या 59 भूमि में मौजूद रामदेव के चबूतरा व मूर्ति तथा मारपीट के मुकदमे भी गैर निगरानीकार संख्या नानगराम मीना व प्रहलाद मीना व उनके साथीयो के विरूद्व दर्ज कराया गया हैं तथा उक्त भूमि के बाबत सिविल कोर्ट में भी वाद विचाराधीन है। इसलिए भी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत नांगल राजावतान पंचायत समिति दौसा हाल पंचायत समिति लवाण जिला दौसा द्वारा जारी संकल्प संख्या 7 तथा उक्त संकल्प के तहत जारी पट्टा संख्या 59 दिनांक 5–7–04 निरस्त किये जाने की कृपा करें एवं निगरानीकारगण के स्वामित्व कब्जे रिहायशी भूमि सिवायचक आबादी का पट्टा निगरानीकारगण के हक में जारी फरमाये जाने का निर्देश फरमायें।

6. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत नांगल राजावतान के द्वारा गैर निगरानीकार सं0 1 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए जारी किया गया है। निगरानीकार उक्त निगरानीप्रस्तुत करने हेतु एग्रीव्ड पर्सन नहीं है। निगरानीकार केवल उक्त भूमि पर अतिकमी के रूप मे काबिज है। अतिकमी की हैसीयत से अतिकमी को किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से उस पर कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। गैर निगरानीकार सं0 1 के द्वारा ग्राम पंचायत नांगल राजावतान में विधि के प्रावधानों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार वार्ड पंचों की स्थल निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया जिस पर कमेटी ने स्थल निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात आपत्ति नोटिस जारी किया गया जिस पर नियत समय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा तय शुल्क जमा किया जाकर गैर निगरानीकार सं0 1 को पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 725 को जिला कलक्टर महोदय जयपुर के द्वारा दिनांक 23.7.1983 को आबादी में सैट अपार्ट की गई थी। केवल उक्त सैट अपार्ट की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद तत्समय नहीं हुआ था। निगरानीकार ने माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में गैर निगरानीकार सं0 1 की दुकान होना स्वीकार किया है। निगरानीकार ने गैर निगरानीकार सं0 1 को हैरान व परेशान करने की गरज से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाई जावे।अधिवक्ता गैर निगीरानीकार सं0 1 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2019(1)सीजे सीआईवी राज.272, 2012(2)डीएनजे राज0 602, 2022(3)डीएनजे रा[illegible] की प्रति [illegible] की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. गैर निगरानीकार सं0 2 व 3 के बाद तामील [illegible]त रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:05 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने उपस्थित अधिवक्तागण [illegible] किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. प्रार्थीगण का सर्वप्रथम बिन्दु यह है कि जिस स्थल का पट्टा जारी किया गया है उस समय (दिनांक 5.7.2004) वह भूमि आबादी के रूप में दर्ज नहीं थी, एवं दिनांक 1.12.

जिला कलेक्टर,दौसा

2010 को गै0मु0आबादी के रूप में दर्ज की गई। उक्त स्थल तत्समय खसरा नंबर 725/02 रकबा 0.19है. सिवायचक बारानी दर्ज है। किन्तु इस संबंध में हमने प्रार्थीगण द्वारा ही प्रस्तुत न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय दौसा वाद पत्र उनवानी लक्ष्मीदेवी पत्नि मूलचंद वगै0 बनाम राजेश उम्र 50 वर्ष पुत्र कल्याण वगै0 बाबत आदेशात्मक निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत दिनांक 24.12.2020 के बिन्दु सं0 3 का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा आराजी खसरा नंबर 725 रकबा 0.34है. की सिवायचक भूमि में से 0.19है. भूमि जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश क्रमांकःराजस्व/11(259)83/7665 दिनांक 28.7.1983 एवं श्रीमान जिला कलक्टर दौसा के आदेश क्रमांकःन.प.वि/2015–16 दिनांक 2.9.2019 तथा तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 14.10.2010 की पालना में नामान्मरण सं. 470 दिनांक 1.12.2010 को स्वीकार कर उक्त 0.19 है. भूमि में से गै.मु.आबादी में परिवर्तित की गई। अतः प्रार्थी के कथन से ही सिद्ध होता है कि उक्त भूमि को आबादी हेतु दिनांक 28.7.1983 को ही सैट अपार्ट हेतु जिलाधीश जयपुर द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये गये थे। ऐसे में केवल मात्र नामान्तरण नहीं खुलने से उक्त भूमि को आबादी भूमि न मानना उचित नहीं है एवं दिनांक 5.7.2004 को जब पट्टा जारी किया गया तब भूमि गै0मु0आबादी के रूप में सैट अपार्ट की जा चुकी थी। जहाँ तक प्रश्न प्रार्थीगण को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस मिलने के बारे में संबंध है, तो धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के नोटिस सिवायचक भूमि पर कब्जे के संबंध में दिये जाते है किन्तु वे किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर कब्जेधारी को अधिकार प्रदान नहीं करते है। जब सिवायचक भूमि का कृषि हेतु नियमन किया जाता है या आबादी हेतु आवंटन के लिय नियमन किया जाता है तो दोनों के रकबे में काफी भिन्नता होती है। कृषि भूमि नियमन में अधिक भूमि आवंटित की जाती है, एवं आबादी भूमि नियमन में अमूनन 300 वर्गगज से भूमि अधिक नियमित नहीं की जाती है। ऐसे में यदि प्रार्थी धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के नोटिस के आधार पर अपनी इच्छानुसार एवं मनचाहे रकबे पर अपना अधिकार एवं नियमन हेतु दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता।

10. प्रार्थीगण का दूसरा मुख्य तर्क यह है कि पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई जैसेकि प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा पेश नहीं किया गया, नक्शे की फीसजमा नहीं कराई गई, निरीक्षण पेटे व्यय शुल्क जमा नहीं कराई गई, उचित समय में स्थल निरीक्षण नहीं किया गया, उचित समय हेतु आक्षेप आमंत्रित नहीं किये गये, स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिये गये, एवं धारा 148, 157 ख, 167 (2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की अवहेलना की गई। इस संबंध में हमने मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 5.4.2002 को पट्टा लेने के क्रम में आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन को पत्रावली पर लिया जाकर मौका पर्चा बनाये जाने हेतु सचिव, गेंदालाल महावर, श्री रामनारायण, गिर्राज प्रसाद मीना को आदेशित किया गया। उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 2.2.2004 को अपनी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सरपंच एवं उक्त तीन सदस्यों के हस्ताक्षर है (सचिव के नहीं है)। इसके उपरांत पत्रावली की नोटशीट पर मौका रिपोर्ट को दिनांक 5.3.2003 को लिया गया एवं आपत्ति नोटिस जारी हेतु आदेशित किया गया ... के उपरांत दिनांक 20.3.2004 को आपत्ति नोटिस जारी करने हेतु पुनः आदेशित करवाया एवं पत्रावली में संलग्न नोटिस दिनांक 20.3.2004 सरपंच की मोहर द्वारा जारी किया गया है। इसके उपरांत दिनांक 5.7.2004 को पत्रावली पुनः प्रस्तुत की गई जिस पर सरपंच द्वारा आपसी बातचीत कर राजकीय हित को ध्यान में रखते हुए 80 रू0 प्रति वर्गगज से राशि वसूल कर राजकोष में जमा कर रसीद जारी करने हेतु सचिव को निर्देशित किया गया। सरपंच द्वारा प्रथम से फैसला कोरम में विस्तृत आदेश दिनांक 5.7.2004 को लिखवाया गया जिसमें मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिपोर्ट एवं नक्शा प्रति के अनुसार 60 फीट गुणा 9 फीट 3 इंच अनुसार 61.61 वर्गगज जिसमें आवेदक ने पुख्ता बाउंड्री की हुई है में पंचायत में आपसी बातचीत कर 4690.50 नजराना राशि एवं जन सहयोग 501 रू0 कुल 5461 रू0 पंचायत कोष में जमा कराकर पटटा जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। दिनांक 5.7.2004 को उक्त पट्टा जारी किया गया जिसमें अंकित है कि दिनांक 1.10.2004 को रसीद सं0 87 पर 5461 रू0 जमा कराये गये। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा उक्त पटटा जारी करने में नैसर्गिक सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की गई है। आपत्ति दिनांक 20.3.2004 को जारी कर निर्णय उसके 4 माह बाद दिनांक 5.7.2004 को सुनाया गया जिसमें समुचित पक्षकारान को अपनी आपत्ति दर्ज करने का पूर्ण समय दिया गया था। जहॉं तक पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर न होने के संबंध में बिन्दु है तो इस संबंध में यह टैक्निकल बिन्दु है एवं यदि पूर्ण प्रकिया नियम अनुसार की गई हो एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पट्टे दिये जाने का निर्णय सही दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर दिया गया हो तो टैक्निकल आधार पर केवल मात्र सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने पर पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

11. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायालय सिविल न्यायाधीश दौसा प्रार्थना पत्र मूलचंद पुत्र जमनालाल बनाम प्रहलाद वगै0 दावा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत दिनांक 23.1.2013 के साथ संलग्न स्वयं के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में नानगाराम मीना का कब्जा दर्शाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के मद सं0 1 में खसरा नंबर 725 रकबा 0.19है. संपूर्ण पर अपना कब्जे के संबंध में अंकन किया है। पंचायजी राज अधिनियम एवं नियम में इतनी भूमि पर एक ही व्यक्ति या परिवार को पट्टे देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। यदि इसे सही भी मान लिया जाये तो पंचायत या राजस्थान सरकार उक्त राजकीय भूमि पर से अतिक्रमियों को बेदखल कर प्रार्थीगण को या अन्य व्यक्ति को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं नियम में अधिकतम 300 वर्गगज से अधिक के पटटे जारी नहीं कर सकती। ऐसे में प्रार्थी उक्त संपूर्ण भूमि पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता। इस संबंध में राजस्थान सरकार के आदेश भी जारी किये जा चुके है। जैसेकि राजस्व (ग्रुप-6) विभाग का परिपत्र कमांकःप. 9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 7.9. 2017।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा पारित प्रश्नगत पट्टा यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ गाम पंचायत नांगल राजावतान का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की अपील नियम समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा